शासनादेश संख्या-23/2016/बी-2-1997/दस-2016-2/2016
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(15)/2015

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2016

विषयः-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की क्षेत्र पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-15/2016/बी-2-740/दस-2016-2/2016, दिनॉक 20 मई, 2016 के द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर की चार क्षेत्र पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 347.95 लाख की धनराशि आवंटित की गई हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आवंटन जनपद गौतमबुद्ध नगर की 153 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में 53 ग्राम पचायतों को यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के फलस्वरूप् ग्राम पंचायतों की संख्या 100 हो गई हैं । अतः पंचायती राज विभाग के प्रस्तावानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका के कालम-5 के अनुसार जनपद गौतमबुद्ध नगर की चार क्षेत्र पंचायतों को संशोधित धनराशि **रूपये 216,72,016 (रूपये दो करोड़ सोलह लाख बहत्तर हजार सोलह मात्र)** आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि रूपये में)

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | क्षेत्र पंचायत | शासनादेश दिनॉक 20 मई, 2016 के अनुसार पूर्व में आवंटित धनराशि | पंचायतीराज विभाग के प्रस्तावानुसार संशोधित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **गौतमबुद्ध नगर** | बिसरख | 19,36,000 | 19,03,188 |
| | | दादरी | 114,54,000 | 113,76,736 |
| | | दनकौर | 81,89,000 | 19,41,957 |
| | | जेवर | 132,16,000 | 64,50,135 |
| | | **योग** | **347,95,000** | **216,72,016** |

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 20 मई, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगीं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 एवं 5 में अंकित धनराशि के अन्तर **रूपये 1,31,22,984/-** को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र समर्पित करने का कष्ट करें।

4- तालिका के कालम-5 के अनुसार उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-23/2016/बी-2-1997(1)/दस-2016-2/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in